भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3616
(10 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सभी के लिए आवास

3616. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी) का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी निधि का आबंटन किया गया है, आज की तिथि तक और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और
(ग) इनमें केन्द्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक ''सभी के लिए आवास'' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण आवास योजना नामक पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 01 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधाओं वाला पक्का मकान उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वर्ष 2021-22 तक दो चरणों में 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। चरण-। (2016-17 से 2018-19) और चरण-।। (2019-20 से 2021-22) के दौरान क्रमश: 1.00 करोड़ और 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पीएमएवाई-जी मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्गमीटर है जिसमें रसोई के लिए भी एक स्वास्थ्यकर निश्चित क्षेत्र जगह शामिल है। लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.), दुर्गम क्षेत्रों और समेकित कार्य योजना (आईएपी) वाले जिलों में 1.30 लाख रुपए की इकाई सहायता दी जाती है। लाभार्थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अंतर्गत 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल मजदूरी पाने के भी हकदार हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्त पोषण के किसी भी अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से शौचालय के निर्माण के लिए भी पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को 12,000/- रुपए की सहायता दी जाती है।

ख) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत की गई वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-I और अनुबंध-II** में दिया गया है।

ग) केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वित्त पोषण पद्धति का अनुपात 60:40 है, जबकि जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए वित्त पोषण पद्धति 90:10 के अनुपात में है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में पीएमएवाई-जी मकानों की पूर्ण लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

06.12.2019 की स्थिति के अनुसार, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के चरण-I और चरण-II के दौरान लक्ष्य और मकानों को पूरा करने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(इकाई सं. में)

क्र. सं.	राज्य	चरण- I (2016-17 से 2018-19 तक)		चरण- II (2019-20 से 2020-21 तक)	
		लक्षित मकान	पूरे किए गए मकान	लक्षित मकान	पूरे किए गए मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	11221	94	7500	0
2	असम	259814	194665	200000	660
3	बिहार	1176617	719656	800000	16848
4	छत्तीसगढ	788235	728052	151100	61
5	गोवा	427	25	0	0
6	गुजरात	204703	186574	107100	4149
7	हरियाणा	21502	14409	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	7385	6675	900	42
9	जम्मू और कश्मीर	38772	17598	52500	10
10	झारखंड	528791	476439	322000	17975
11	केरल	42431	16386	0	0
12	मध्य प्रदेश	1403593	1328595	830100	57421
13	महाराष्ट्र	449820	362754	289700	9919
14	मणिपुर	9740	8309	8900	0
15	मेघालय	20745	14560	17200	0
16	मिजोरम	6600	2260	1500	0
17	नागालैंड	8481	350	5900	0
18	ओडिशा	992558	860687	565000	70801
19	पंजाब	14000	13551	10000	0
20	राजस्थान	687091	654007	364000	16369
21	सिक्किम	1079	1033	0	0
22	तमिलनाडु	327552	201878	200000	1101
23	त्रिपुरा	24989	24251	28838	292
24	उत्तर प्रदेश	1282616	1255445	178900	59838
25	उत्तराखंड	15776	12306	0	0
26	पश्चिम बंगाल	1397474	1342112	830000	1343
27	अण्डमान और निकोबार	972	193	400	23
28	दादर और नगर हवेली	7605	409	0	0
29	दमन और दीव	15	13	0	0
30	लक्षद्वीप	57	3	58	0
31	पुडुचेरी	0	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	123112	46718	47800	0
33	कर्नाटक	145349	79547	86000	0
34	तेलंगाना	0	0	0	0
35	लद्दाख	0	955	0	0
	कुल	9999122	8570509	5105396	256852

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक केंद्रीय आवंटन, जारी की गई केंद्रीय निधियों और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रु.लाख में)

क्र. सं.	राज्य	केंद्रीय आवंटन	जारी की गई केन्द्रीय निधि	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	126602.08	75511.10	70592.36
2	अरुणाचल प्रदेश	22429.26	6623.27	0.00
3	असम	550141.55	425185.98	444231.81
4	बिहार	1474906.73	914581.89	1519442.97
5	छत्तीसगढ़	799807.21	666272.99	985347.99
6	गोवा	569.57	284.79	503.75
7	गुजरात	230393.29	158011.48	262604.06
8	हरियाणा	16100.70	12407.86	34767.77
9	हिमाचल प्रदेश	10039.57	9810.63	10738.97
10	जम्मू और कश्मीर	108602.52	35698.23	38968.35
11	झारखंड	661106.00	538222.47	877818.97
12	कर्नाटक	170757.02	136951.10	118623.42
13	केरल	31772.58	12190.22	36086.28
14	मध्य प्रदेश	1498323.29	1311981.93	1991355.98
15	महाराष्ट्र	554158.12	322304.95	634234.03
16	मणिपुर	22264.13	12424.05	14090.46
17	मेघालय	45366.45	24973.22	28648.67
18	मिजोरम	9785.60	6051.07	4844.92
19	नागालैंड	17222.53	5509.21	4196.40
20	ओडिशा	1212484.43	923625.71	1415507.76
21	पंजाब	17683.20	9161.16	17385.68
22	राजस्थान	776573.91	641772.65	981115.73
23	सिक्किम	2381.21	1255.64	1852.15
24	तमिलनाडु	389270.95	204188.16	341728.21
25	तेलंगाना	0.00	19078.87	0.00
26	त्रिपुरा	64147.52	49694.91	46693.96
27	उत्तर प्रदेश	1011110.28	1054800.70	1804975.81
28	उत्तराखंड	19196.59	18463.79	19742.37
29	पश्चिम बंगाल	1657140.22	1331114.55	2199222.64
30	अण्डमान और निकोबार	1069.49	229.44	37.20
31	दादर और नगर हवेली	9178.58	1560.68	1880.80
32	दमन और दीव	101.05	58.62	15.60
33	लक्षद्वीप	140.52	70.92	53.70
34	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	11510826.15	8930072.23	13907308.77

उपयोग की गई निधि के आंकड़े कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष सूचित किए गए हैं जिनमें केंद्रीय अंश, राज्य अंश, विविध प्राप्तियां और अर्जित ब्याज शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग के आंकड़े आवास सॉफ्ट पर 05.12.2019 की स्थिति के अनुसार दर्शाए गए हैं।

*****